निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1936 (श0)

(सं0 पटना 588) पटना, सोमवार, 14 जुलाई 2014

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचनाएं
30 जून 2014

सं0 7/एम0ई0–401–104/2013–2981——भारत संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार में वाणिज्य–कर विभाग में वाणिज्य–कर के निरीक्षकों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** –(1) यह नियमावली **''बिहार वाणिज्य–कर निरीक्षक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2014''** कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–
(क) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(ख) **''विभाग''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार का वाणिज्य–कर विभाग;
(ग) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है बिहार राज्य के वाणिज्य–कर आयुक्त;
(घ) **''सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

3. **भर्त्ती की प्रक्रिया।** –**(1)** प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 जून तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को आवश्यकता के अनुसार मांग–पत्र दे दी जायेगी।
(2) वाणिज्य–कर विभाग में निरीक्षक के पदों की रिक्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर भरी जायेंगी।
(3) आयोग के द्वारा योग्य उम्मीदवारों से आवेदन विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा। आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी, जिसके लिए पाठयक्रम आयोग द्वारा अवधारित कि जायेगी तथा लिखित प्रतियोगिता के आधार पर एक मेघा सूची आयोग द्वारा अवधारित न्यूनतम अर्हत्ता के आधार पर तैयार की जायेगी एवं मेधा–सूची के अनुसार सुयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

4. **आयु–सीमा एवं अन्य अर्हताएँ।** –**(1) शैक्षणिक योग्यता**–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।

(2) आयु– आयु वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समूह ''ग'' कर्मचारियों के चयन हेतु विभिन्न वर्गो के लिए समय–समय पर अवधारित की जाय।

5. **संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान।** –(1) निरीक्षकों के पद की संख्या सरकार समय–समय पर, नियत करेगी।

(2) निरीक्षकों को समूह ''ग'' अराजपत्रित श्रेणी में रखा जायेगा।

(3) वेतनमान –

क्र०सं०	**पदनाम**	**स्तर**	**वेतनमान**
(i)	निरीक्षक	बेसिक	इन पदों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान भुगतेय होगा।
(ii)	वरीय निरीक्षक	प्रथम प्रोन्नति	

6. **परिवीक्षा अवधि।** –नियुक्त निरीक्षकों की परिवीक्षा अवधि दो वर्षो की होगी। यह अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित भी की जा सकती है यदि कर्मी के द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान की गई सेवा एवं आचरण संतोषप्रद नही हो। यदि विस्तारित अवधि के दौरान भी किसी निरीक्षक के द्वारा की गयी सेवा एवं आचरण संतोषप्रद न हो तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

7. **संपुष्टि।** –नियुक्त निरीक्षकों की सेवा, परिवीक्षा अवधि के संतोषप्रद होने एवं आवश्यक प्रशिक्षण के क्रम में विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात्, संपुष्ट की जायेगी।

8. **प्रशिक्षण।** –नियुक्ति प्राधिकारी परीक्ष्यमान अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे।

9. **विभागीय परीक्षा।** –विभागीय परीक्षा से संबंधित पाठयक्रम, राजस्व पर्षद, बिहार से विचार परामर्श के उपरांत, विभाग द्वारा नियत किया जायेगा एवं विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जायगा।

10. **प्रोन्नति।** –(1) संपुष्ट निरीक्षकों की प्रोन्नति वरीय निरीक्षक में उनके वरीयता एवं मेधा के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि के समाप्त होने पर ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जायगा।

(3) विभागीय प्रोन्नति समिति विभाग द्वारा गठित की जायेगी।

11. **वर्दी।** –निरीक्षक/वरीय निरीक्षक कर्त्तव्य के दौरान वर्दी में रहेगें और वर्दी वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा बिहार आरक्षी विभाग के परामर्श से निश्चित की जायेगी तथा बिहार सरकार के (वित्त विभाग) द्वारा अन्य विभागों के निरीक्षकों हेतु, समय–समय पर अवधारित भत्ते उन्हें भुगतेय होगें।

12. **आरक्षण।** –सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के सम्बन्ध में निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

13. **कठिनाईयों का निराकरण।** –इस नियमावली में विहित नियमों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से संगत हों।

14. राज्य सरकार द्वारा राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए विहित नियम/अनुदेश, उन विषयों के संबंध में, जिसके लिए प्रावधान इस नियमावली में नहीं किया गया हो, इस संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

15. **निरसन एवं व्यावृति**।– (1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व निर्गत निरीक्षकों की सेवा संबंधी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प/परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानों यह उस दिन प्रवृत थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामेश्वर सिंह,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

The 30th June 2014

No. 7/M.E.- 401-104/2013-2981—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules to regulate the recruitment, promotion and other service conditions of 'Inspectors', commercial taxes in the Department of Commercial Taxes in Bihar:-

1. Short title, extent and commencement-(1)These 'Rules' may be called the "Bihar Commercial Taxes Inspector Cadre (Recruitment, Promotion and Service Condition) Rules, 2014."

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Definitions-In these Rules, unless otherwise requires in the context **-**

(a) **'Appointing Authority'** means the Commissioner of Department of Commercial Taxes, Bihar.

(b) **'Commission'** means the Bihar State Staff Selection Commission.

(c) **'Department'** means the Department of Commercial Taxes.

(d) **'Government'** means the Government of Bihar.

3. Procedure of recruitment - (1) The requisition, as per requirement, shall be sent by the Appointing Authority to the Commission by 30th June, every year.

(2) Vacancies of the posts of the Inspectors in the Commercial Taxes Department will be filled up on the recommendation of the Commission.

(3) Application from eligible candidates will be invited by the commission through advertisement. Recommendation for appointment through Graduate Level Combined Examination will be made by the commission for which syllabus will be determined by the commission and on the basis of written competitive examination, a merit list will be prepared on the basis of minimum qualification determined by the commission and recommendation for the appointment of suitable candidates according to merit list will be sent to the appointing authority.

4. Age-limit & other Qualifications-(1) Educational Qualification–Bachelors Degree, from a recognized university.

(2) Age:- The age will be the same as may be determined by the Government of Bihar (General Administration Department) from time to time, for selection of employees of Group C for different classes.

5. **Number, Classification and pay-scale :-**

(1) The Government will fix the number of posts of Inspectors, from time to time.

(2) Inspectors shall be kept in Group "C" Non-Gazetted.

(3) pay- Scale :-

Sl. No.	Designation	Level	Pay-Scale
(i)	Inspectors	Basic	Pay Scale sanctioned by the State Government, from time to time, will be payable.
(ii)	Sr. Inspectors	First Promotion	

6. **Probation Period-** The Probation period for the appointed Inspectors shall be of *two years*. This period may also be extended for further *one year,* if the service rendered and conduct of the employee is not found satisfactory during the probation period of two years. The appointment of such Inspector shall be terminated if the service rendered and conduct is not found satisfactory during the extended period.

7. **Confirmation-** Service of the appointed Inspectors shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and after passing the prescribed Departmental Examination in course of required Training.

8. **Training-**The appointing authority shall arrange the programme of training during the probation period.

9. Departmental Examination:- Syllabus relating to Departmental Examination shall be fixed after consultation with Board of Revenue, Bihar and the Departmental Examination shall be held by the Board of Revenue, Bihar.

10. Promotion- (1) The confirmed Inspectors shall be promoted to senior Inspector on basis of seniority cum merit in light of the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(2) Only on completion of Kalawadhi determined by the Department of General Administration, Bihar, Patna, from time to time, for promotions from one level to another will be considered.

(3) Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

11. **Uniform –** Inspectors/ Senior Inspectors shall be in uniforms during on duty and determination of uniform will be by the Commissioner of the Commercial Taxes in consultation with Bihar Police Department and allowances determined by the Government of Bihar (Finance Department) from time to time for the Inspectors of other departments will be payable to them.

12. Reservation – It will be essential to comply the provisions of Government Reservation Act and Roster as issued by the Government (General Administrative Department), from time to time, in respect of appointment and promotion.

13. Removal of Difficulties- If any difficulty arises in implementation of any provision prescribed in these Rules the State Government may issue such necessary orders, by Notification in the official Gazette which are consistent with the provisions of these Rules, for removal of such difficulties.

14. Rules/instructions prescribed by the State Government for other employees of the state shall apply to the employees of this Cadre, in respect of such subject for which the provisions have not been made in these Rules.

15. Repeal and Savings-(1) All Resolutions/Circulars in respect of service of Inspectors issued prior to the commencement of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Resolutions/Circulars shall be done or taken under these Rules as if it were come in to force on such day.

By order of the Governor of Bihar,
RAMESHWAR SINGH,
Commissioner–cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 588-571+300-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in